# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018, फोन– 0141–2552796


क्रमांकः प.14(101)RSSB/अर्थना/स्कूल शिक्षा/कम्प्यू.अनु./ भर्ती/2021/183 दिनांक : 09.02.2022

## –:: प्रेस–विज्ञप्ति ::–

## बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती–2022

बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती–2022 हेतु दिनांक 01.02.2022 को विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद की शैक्षणिक योग्यता "कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नात्तकोत्तर की उपाधि एवं इसके समतुल्य या उच्चतर अर्हता" रखी गई है। इसी प्रकार बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद की शैक्षणिक योग्यता "कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नात्तक की उपाधि तथा पीजीडीसीए व 'ए ' लेवल में डिप्लोमा एवं इसके समतुल्य या उच्चतर अर्हता" रखी गई है।

ऐसा ध्यान में आया है कि कुछ गैर मान्य संस्थाऐं इन पदों हेतु फर्जी प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा जारी कर रही है। अतः अभ्यर्थियों को सतर्क किया जाता है कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपयुर्क्त डिग्री/डिप्लोमा से ही आवेदन करें। बोर्ड द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के समय सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच दोहरी सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत की जावेगी। प्रथमतः प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा तथा दूसरे स्तर पर बोर्ड द्वारा भी इनका सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जावेगा। **यदि किसी अभ्यर्थी का गैर मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से प्राप्त फर्जी प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी की इस भर्ती हेतु अभ्यर्थिता निरस्त कर बोर्ड की आगामी परीक्षाओं से भी विवर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा अभ्यर्थी व संस्थान के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जावेगी।** बोर्ड द्वारा पूर्व में भी कई भर्तियों में फर्जी डिग्री/डिप्लोमा पाये जाने पर उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर बोर्ड की आगामी परीक्षाओं से विवर्जित किया गया है तथा उनके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः अभ्यर्थी झूठे एवं फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन नहीं करें।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष